



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262278
CG-DL-E-04042025-262278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]
No. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.123.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 तथा धारा 207 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 5 के खंड (क) में “बारह” शब्द के स्थान पर “चौबीस” शब्द रखा जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./09/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र,
2348 GI/2025 (1)

असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 74, तारीख 31 जनवरी, 2024 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.110, तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा किए गए।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2025

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG123.— In exercise of the powers conferred by sections 196 and 207 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely:—

- (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, in regulation 5, in clause (a), for the word “twelve”, the words and the mark “twenty-four” shall be substituted.

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./09/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23rd November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23rd November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2024 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG110, dated 31st January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 74 on 31st January, 2024.